

उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-2
संख्या-ई-324/अडतीस-2-2010-37एल0सी0/2010
लखनऊ: दिनांक: 26 अगस्त, 2009

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु ग्राम्य विकास विभाग के सम्बन्धित अनुभागों के कार्य देखने वाले प्रथम स्तर के अनु सचिव/ उप सचिव/ संयुक्त सचिव को जन सूचना अधिकारी नामित किया जाता है।

2- जन सूचना के अधिकारी के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से अरांतुष्ट होने पर आवेदक द्वारा की जाने वाली अपील के निस्तारण हेतु श्री आर0एन0 सिंह, विशेष सचिव को अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का पता :—

अधिकारी भवन, कक्षा संख्या 80

दूरभाष नम्बर— 0522-2238093, 0522-2213483

3- उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

मनोज कुमार सिंह
सचिव।

संख्या-ई-324 (1)/अडतीस-2-2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- (1) निजी सचिव, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी।
- (2) निजी सचिव, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
- (3) विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनु सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
- (4) निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
- (5) प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 को कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02-8-08 के संदर्भ में।
- (6) ग्राम्य विकास विभाग के रागरत अनुभाग।
- (7) अनुभाग अधिकारी (लेखा), ग्राम्य विकास विभाग।
- (8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

26-8-10
(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।